रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-30062025-264219 CG-DL-E-30062025-264219

### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2820]

No. 28201

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 27, 2025/आषाढ़ 6, 1947 NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 27, 2025/ASHADHA 6, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

विदेश व्यापार महानिदेशालय

अधिसूचना

सं. 21/2025-26

नई दिल्ली, 27 जून, 2025

विषयः आईटीसी (एचएस), 2022 अनुसूची 1 (आयात नीति) के तहत बांग्लादेश से भारत में कुछ वस्तुओं के आयात पर पत्तन प्रतिबध।

का.आ. 2887(अ).—समय—समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के साथ पित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और डीजीएफटी अधिसूचना संख्या 07/2025—26 दिनांक 17.05.2025 के क्रम में केन्द्र सरकार एतद्द्वारा आईटीसी (एचएस), 2022 अनुसूची 1 (आयात नीति) के तहत आयात नीति के संबंध में सामान्य टिप्पणियों के पैरा 19 (1) के नीचे एक नया उप—पैरा 2 को तत्काल प्रभाव से शामिल करती है।

"19. बांग्लादेश से भारत में निम्नलिखित वस्तुओं के आयात को निम्नानुसार विनियमित किया जाएगाः

4247 GI/2025 (1)

			١.					<u> </u>	
(2)	बांग्लादेश	स्रे	तस्तर्भा	क्रे	आग्रात	ਧ੍ਰ	पत्तन	प्रतिबंध	

क्र.सं.	एचएस	मद विवरण	आयात नीति / पत्तन
	कोड		प्रतिबंध
(i)	530130	फ्लैक्स टो और अपशिष्ट (धागे के अपशिष्ट और गार्नेटेड स्टॉक सहित)	भारत—बांग्लादेश सीमा पर किसी भी भूमि पत्तन से
(ii)	530310	जूट और अन्य वस्त्र बास्ट फाइबर, कच्चे या सड़े हुए	बांग्लादेश से आयात की अनुमति नहीं होगी। तथापि, यह केवल न्हावा शेवा समुद्री
(iii)	530390	जूट (फ्लैक्स, ट्रू हेम्प और रैमी को छोड़कर)	पत्तन के माध्यम से अनुमत है।
(iv)	530610	सिंगल फ्लैक्स यार्न	3 -
(v)	530710	जूट अथवा अन्य वस्त्र बास्ट फाइबर के सिंगल यार्न	
(vi)	530720	मल्टीपल फोल्डेड	
(vii)	530919	बुने हुए कपड़े अथवा फ्लैक्स	
(viii)	530929	बुने हुए कपड़े अथवा फ्लैक्स	
(ix)	530010	जूट के अथवा अन्य वस्त्र बास्ट फाइबर के अनब्लीच्ड बुने हुए कपड़े	

2. उप—पैरा 2 पर उल्लिखित प्रतिबंध भारत से होकर नेपाल/भूटान को किए जाने वाले बांग्लादेशी निर्यात पर लागू नहीं होंगे। तथापि, नेपाल/भूटान से भारत में उपरोक्त बांग्लादेशी वस्तुओं का पुनः निर्यात अनुमत नहीं होगा।

# अधिसूचना का प्रभावः

बांग्लादेश से भारत को कुछ वस्तुओं का आयात तत्काल प्रभाव से विनियमित किया जाता है। इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

> [फा.सं. 01/93/180/31/एएम-12/पीसी-II(बी)] अजय भादू महानिदेशक विदेश व्यापार और पदेन अपर सचिव

#### MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(DEPARTMENT OF COMMERCE)

(Directorate General of Foreign Trade)

#### **NOTIFICATION**

No.21/2025-26

New Delhi, the 27<sup>th</sup> June, 2025

Subject: Port restriction on import of certain goods from Bangladesh to India under ITC (HS), 2022 Schedule 1 (Import Policy)

**S.O. 2887(E).**— In exercise of powers conferred by Section 3 read with Section 5 of Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the

Foreign Trade Policy (FTP) 2023, as amended from time to time, and in continuation to DGFT Notification No. 07/2025-26 dated 17.05.2025, the Central Government hereby introduces a new sub-para 2 below Para 19 (1) to General Notes Regarding Import Policy under ITC (HS), 2022 Schedule 1 (Import Policy) with immediate effect.

- "19. The import of following goods from Bangladesh to India shall be regulated as under:
  - (2) Port Restrictions on import of Goods from Bangladesh

Sl.	HS	Item Description	Import	Policy	/Port
No.	Code		restriction		
(i)	530130	Flax tow and waste (including yarn waste and	Import from Bangladesh shall		sh <b>shall</b>
		garnetted stock)	not be allowed from any land		
(ii)	530310	Jute and other textile bast fibers, raw or retted	port on	India-Ban	gladesh
(iii)	530390	Jute (excluding flax, true hemp and ramie)	Border.	However,	it is
(iv)	530610	Single flax yarn	allowed on	ly through	Nhava
(v)	530710	Single yarn of jute or of other textile bast	Sheva Seap	ort.	
		fibers			
(vi)	530720	Multiple folded			
(vii)	530919	Woven fabrics or flax			
(viii)	530929	Woven fabrics or flax			
(ix)	530010	Unbleached woven fabrics of jute or of other			
		textile bast fibers			

<sup>2.</sup> The above restrictions at sub-Para 2 shall not apply to Bangladesh exports to Nepal/Bhutan transiting through India. However, re-export of the aforesaid Bangladesh Goods to India from Nepal/Bhutan shall not be allowed.

## **Effect of the Notification:**

Import of certain goods from Bangladesh to India are regulated with immediate effect.

This is issued with the approval of Minister of Commerce & Industry.

[F.No. 01/93/180/31/AM-12/P.C.II(B)] AJAY BHADOO, Director General of Foreign Trade & Addl. Secy.